भास्कर ए. सावंत
आई.ए.एस.
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन,जनपथ
जयपुर– 302005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि0 कार्या0 : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005, दूरभाष: 0141–2740382–1318, फेक्स: 0141–2747035
वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com; email: cmd@jvvnl.in, CIN: U40109RJ2000SGC016486

कमांक: अध्यक्ष डिस्कॉम्स/एमआईएस/पत्रा. /प्रे. 63 जयपुर, दिनांक: 20.07.2015

दिशा निर्देश

हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार शिविरों के संचालन हेतु

ऐसे घरेलू आवास जो कि क्षेत्र के विद्युतीकरण के बाद भी विद्युत कनेक्शन से वंचित है को कनेक्शन देने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जेपीडी/प्र.नि./मुअ.पीपीएम/प्रे.140 दिनांक 11.06.2015 द्वारा माह अगस्त, 15 में **"हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार"** योजना के अन्तर्गत शिविरों का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया था। राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार की "24X7 विद्युत सब के लिये" संयुक्त योजना के अन्तर्गत विद्युत से वंचित लगभग 30 लाख घरेलू आवासों को वर्ष 2018 तक कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 6 लाख कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है। समय पूर्व ही बड़ी तादाद में कनेक्शन देने के लिए उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शिविरों के आयोजन के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अतिरिक्त निम्न कार्यवाहियां संचालित करें :–

1. शिविरों के क्षेत्रों का निर्धारण :

1.1 ग्रामीण उपखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी पंचायतों को 4 समूह में विभक्त कर पहला शिविर 16 अगस्त, द्वितीय शिविर 30 अगस्त, तृतीय शिविर 13 सितम्बर तथा चतुर्थ शिविर 27 सितम्बर को आयोजित किया जावे। इसी प्रकार शहरी उपखण्ड क्षेत्रों में कच्ची बस्तियाँ, अविद्युतीकृत कॉलोनियाँ इत्यादि क्षेत्रों को चिन्हित कर शिविरों का आयोजन किया जावे।

1.2 ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित किये गये समूह में आने वाली पंचायतों के सरपंच, पंच व शहरी क्षेत्र में पार्षदों तथा क्षेत्र में स्थित अन्य जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर सहायक अभियन्ता द्वारा शिविर के स्थान का निर्धारण सबसे अधिक घरेलू कनेक्शन संभावित क्षेत्र में किया जावे।

1.3 सहायक अभियन्ता शिविर के आयोजन की तिथिवार प्रस्तावित योजना की सूचना संलग्न प्रारूप–1 में तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता को 28 जुलाई–2015 तक जिला कलेक्टर की सहमति हेतु भेजेंगे।

1.4 जिला कलेक्टर की सहमति से अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शिविर आयोजन के बारें में तिथिवार पंचायतों के नामों को अंकित कर पूर्ण विवरण सहित शिविरों के आयोजन की सूचना प्रारूप–2 संबंधित सरपंचों, प्रधानों, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद तथा जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, स्थानीय एन.जी.ओ. व अन्य जन प्रतिनिधियों को दिनांक 31 जुलाई–2015 तक भेजेंगे व प्रति सम्भागीय मुख्य अभियंता व

अधीक्षण अभियंता (प्लान) को भेजेंगे। शहरी क्षेत्रों में शिविरों की योजना पार्षदों, नगर पालिका/नगर परिषद/विकास प्राधिकरणों के जन प्रतिनिधियों को भी सूचित की जावे।

1.5 अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) जिलेवार शिविरों के दिनांक सहित शिविर आयोजन की सूचना पंचायतवार गांवों के नाम सहित सूची तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता (आईटी) को वेबसाईट पर 3 अगस्त–2015 तक प्रदर्शित करने हेतु उपलब्ध करावेंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिये शिविरों के आयोजन की सूचना भी वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

2. शिविरों से पूर्व व्यवस्था :

2.1 जन प्रतिनिधियों की भागीदारी

2.1.1 प्रत्येक शिविर से कम से कम 15 दिन पूर्व अधिशाषी अभियन्ता संबंधित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, वार्ड पंच, बीडीओ, एस.डी.ओ., सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य जन प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह, स्कूल के प्रधानाध्यापकों व अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को लिखित सूचना से आमंत्रित कर बैठक आयोजित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में पार्षदों, नगर पालिका/नगर परिषद/विकास प्राधिकरणों के जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जावे। इन बैठकों में संबंधित क्षेत्र के सीसीए (फीडर इंचार्ज) को भी सम्मिलित किया जावे।

2.1.2 इस बैठक में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत कनेक्शन दिए जाने के बारे में उपरोक्त सभी को जानकारी देंगे तथा पूर्व से ही मुद्रित किए गये पैम्फलेट संलग्न प्रारूप–3 में तथा विद्युत कनेक्शन आवेदन पत्र उपलब्ध कराऐंगे। कनेक्शन हेतु आवेदन पत्रों के मुद्रण का कार्य मुख्य लेखाधिकारी (कन्ट्रोल/राजस्व) द्वारा किया जायेगा एवं 31 जुलाई, 2015 से पूर्व ही सभी उपखण्डों में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

2.1.3 बैठक में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से ऐसी विद्युतीकृत ढाणियों, गांव के क्षेत्र, निर्माणाधीन/विकासाधीन कॉलोनियों एवं शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों, कॉलोनियों इत्यादि को चिन्हित किया जावे जहां घरेलू कनेक्शन अभी तक लिए नहीं है या अल्पतम हैं।

2.1.4 बैठक में सरपंच/पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधि एवं निगम व अन्य राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मिलित कर कार्यवाही समूह बना कर चिन्हित क्षेत्रों में संभावित घरेलू कनेक्शन हेतु घर–घर जा कर जन संपर्क किया जावेगा। संपर्क के दौरान कनेक्शन देने की योजना के बारे में जानकारी दे कर आवेदन पत्र भरने में सहायता की जावे। इस प्रकिया से विद्युत से वंचित परिवारों में विश्वास का संचार करने में सफलता मिलेगी।

2.1.5 उपखण्ड मुख्यालय, पंचायत समिति एवं तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की जाती रहती है। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इन बैठकों में सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी व अन्य अधिकारियों को घरेलू कनेक्शन दिये जाने की इस योजना व शिविरों के बारे में जानकारी देकर उनका सहयोग योजना के कियान्वयन में लिया जावे।

2.2 शिविर से पूर्व कार्य

2.2.1 घर–घर पहुंचने के दौरान जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हो उनको कनेक्शन देने की योजना बनाकर, स्वीकृत करने की कार्यवाही कर शिविर से पूर्व ही अधिकतम कार्य पूर्ण करा कर कनेक्शन देने की कार्यवाही अधिशाषी अभियंता द्वारा सुनिश्चित की जावे।

2.2.2 शिविरों के संचालन हेतु सहायक अभियन्ता द्वारा स्टेशनरी, टेबल कुर्सी, बैठने की व्यवस्था व पोस्टर बनवाने –लगाने, आवेदन पत्रों इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए प्रति शिविर रू. 1000/– सहायक अभियन्ता को संबंधित लेखाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायें जावे। इसके लिए निदेशक (वित्त) द्वारा तुरन्त प्रभाव से उचित दिशा–निर्देश जारी किये जावें। शिविरों में अन्य व्यवस्थाओं के लिए संबंधित पंचायत व अन्य संस्थाओं से भी सहयोग लिया जा सकता है।

2.2.3 संभावित कनेक्शनों के लिए लाईन व सर्विस कनेक्शन मेटीरियल की व्यवस्था अधीक्षण अभियन्ता, संभागीय मुख्य अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता (पदार्थ प्रबन्ध) आपसी समन्वय कर करेंगे ताकि समय पर कार्य पूर्ण हो सके।

2.2.4 जिला स्तर पर शिविरों के आयोजन हेतु समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करने सूचनाओं का संकलन करने व निगम स्तर पर सूचनाओं को भेजने हेतु वृत के कार्मिक अधिकारी प्रभारी अधिकारी होंगे।

2.2.5 वर्तमान में लम्बित घरेलू कनेक्शनों को 15 अगस्त,2015 से पूर्व ही कनेक्शन जारी कर दिये जावे, एवं मांगपत्र जारी करने–हेतु लम्बित आवेदनों के मांगपत्र जारी कर कनेक्शन देने की कार्यवाही शिविर से पूर्व ही करने के प्रयास किये जावे।

2.3 प्रचार–प्रसार :

2.3.1 निगम स्तर पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस योजना का साप्ताहिक प्रचार–प्रसार किया जावेगा। इसके लिए अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) व पी.आर.ओ संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे।

2.3.2 अधीक्षण अभियंता (पवस) द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से योजना का विवरण, शिविर का दिनांक व स्थान एवं उससे सम्बंधित गाँवों/उपखण्ड की सूचना प्रकाशित की जावेगी। यह विज्ञप्ति अगस्त माह के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में प्रकाशित कराई जावेगी। तदुपरान्त प्रत्येक शिविर के आयोजन के तीन दिवस पूर्व व शिविर दिवस पर प्रगति सहित प्रकाशित कराई जावे।

2.3.3 शिविर स्थल पर उपभोक्ताओं की जानकारी के लिये एक 6x4 साइज का फ्लेक्स तैयार किया जावेगा, जिसमें कनेक्शन देने के कार्यक्रम, सुरक्षा उपाय, हाईरिस्क वाले स्थलों पर विद्युत तंत्र का सुधार, कृषि कनेक्शन हेतु लाईन मेटीरियल उपलब्ध होने की जानकारी एवं केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर का शिकायत निवारण

हेतु उपयोग के बारे में जानकारी होगी। इसका प्रारूप पी.आर.ओ., जयपुर तैयार करवाकर सभी अधीक्षण अभियंताओं को ई–मेल से दिनांक 31.07.2015 तक भेजने का प्रबंध करेंगे।

2.3.4 सहायक अभियन्ता कार्यालय में भी कनेक्शन देने की इस योजना के बारे में आम उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए फ्लेक्स तैयार कर 5 अगस्त 2015 तक प्रदर्शित किया जावेगा जिसका प्रारूप भी पी.आर.ओ., जयपुर ई–मेल द्वारा सभी अधीक्षण अभियन्ताओं को दिनांक 31.07.2015 तक उपलब्ध करावेंगे।

3. शिविरों की व्यवस्था :

3.1 सहायक अभियंता निर्धारित तिथि से 1 दिन पूर्व शिविर स्थल पर आयोजन हेतु सभी आवश्यक सामग्री को पहुंचाकर निम्नानुसार शिविर में कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था करेगें :

3.1.1 **पंजीकरण डेस्क** : सभी आगन्तुक उपभोक्ता के नाम, गाँव/पता, मोबाईल नं. व शिविर में आने का उद्देश्य अंकित करेंगे (इस डेस्क पर उपखण्ड के एक लिपिक की ड्यूटी लगाई जावे)।

3.1.2 **उपभोक्ता सहायता डेस्क** : उपभोक्ताओं को कनेक्शन सम्बंधी जानकारी देने के लिए व उपभोक्ताओं की आवश्यकता पर फार्म की प्रविष्टियां भरने में सहायता करेंगे (इस डेस्क पर 1–2 कर्मचारियों को नियुक्त किया जावे)।

3.1.3 **आवेदन संग्रहण डेस्क** : उपभोक्ताओं के आवेदनों की जाँच कर निर्धारित आवेदन शुल्क प्राप्त कर उपभोक्ता को शुल्क प्राप्ति रसीद दी जावेगी व फाईल को शिविर में मौजूद तकनीकी कर्मचारी को मौका निरीक्षण करने हेतु दिया जावेगा। कर्मचारी की रिपोर्ट पर यदि सर्विस लाईन कनेक्शन है, तो डिमांड राशि जमा करा कर कनेक्शन आदेश जारी कर, कनेक्शन देने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे। आवेदित स्थान पर पूर्व में पी.डी.सी. या सतर्कता जाँच के अन्तर्गत कोई बकाया राशि तो नहीं है, इसकी पुष्टि मौके पर ही लेखाकार से करा ली जावे एवं बकाया होने पर बकाया राशि भी मौके पर जमा कर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावे (उपभोक्ता लिपिक को इस डेस्क पर नियुक्त किया जावे)

3.2 शिविर क्षेत्र के सभी फीडर इंचार्ज (सीसीए) व उपखण्ड में कार्यरत 8–10 कर्मचारियों को शिविर स्थल पर तैनात किया जावेगा ताकि शिविर के दौरान अधिक से अधिक कनेक्शन जारी किये जा सकें।

3.3 इसके अतिरिक्त उपखण्ड में कार्यरत कॉन्ट्रेक्टरों को भी शिविर में मय कर्मचारी व टी. एण्ड.पी. के साथ उपस्थित रहना होगा। सहायक अभियंता पहले से ही ट्राँसफॉर्मर, केबल, कन्डक्टर व अन्य सामान की व्यवस्था रखेंगे।

4. शिविर दिवस पर:

4.1 शिविर में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, लेखाकार व अन्य कर्मचारियों सहित उपस्थित रहेंगे व अधिशाषी अभियन्ता अपने क्षेत्र के अधीनस्थ सभी शिविरों का दौरा कर

व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे एवं शिविरों को जनभागिता के द्वारा अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे। ।

4.2 अधीक्षण अभियन्ता व सम्भागीय मुख्य अभियन्ता भी अधिकतम शिविरों का निरीक्षण करेंगे व व्यवस्था में कमी पाये जाने पर सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।

4.3 शिविर आयोजित होने वाले गाँव में कनेक्शन हेतु आवेदन शुल्क एवं डिमाण्ड राशि जमा होने पर सभी सर्विस लाईन कनेक्शन शिविर दिवस पर ही जारी कर दिये जावेंगे। अन्य सम्बन्धित गाँवों में फोलोअप कैम्प द्वारा कनेक्शन जारी किये जाने की दिनांक शिविर स्थल पर पहले से ही प्रदर्शित की जावे।

4.4 शिविर के बाद समूह में सम्मिलित अन्य गांवों में कनेक्शन दिये जाने की दिनांक के समक्ष कनिष्ठ अभियन्ता/सीसीए (फीडर इन्चार्ज) का नाम व मोबाईल नम्बर शिविर में ही प्रदर्शित कर दिया जावे। शिविर की सफलता के लिए अधिक से अधिक कनेक्शन जारी करने हेतु लगाये जाने फोलोअप कैम्प्स एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। अभियान की उपलब्धि कैम्प के सुनियोजित कियान्विति पर निर्भर करती है। अतः सभी सहायक अभियन्ता–अधिशाषी अभियन्ता–अधीक्षण अभियन्ता फोलोअप गतिविधियों का औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि शिविर के दिवस पर प्रदर्शित कार्यक्रम के अनुसार फोलोअप कार्य हो रहा है अथवा नहीं।

4.5 ग्रामीण क्षेत्रों में अविद्युतिकृत गांवों तथा ढाणियों में जिनको दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतकरण हेतु स्वीकृत किया गया है, उन क्षेत्रों के आवेदन भी इन शिविरों में प्राप्त किए जा सकेंगे एवं इन योजनाओं के लिये जिन फर्मों को कार्यादेश दिये गये हैं, के जरिये ऐसे क्षेत्रों में शीघ्रता से कार्य पूरा करा कर कनेक्शन जारी किये जावे। अधीक्षण अभियंता (पवस) व अधीक्षण अभियन्ता (टी डब्ल्यू) सम्बंधित फर्मों के प्रतिनिधियों से 31 जुलाई 2015 से पूर्व ही बैठक कर कनेक्शन देने की कार्ययोजना बनाकर फोलोअप द्वारा शीघ्रता से कार्य पूर्ण करावें।

4.6 वृत स्तर पर कार्मिक अधिकारी सूचना का संकलन करेंगे व प्रगति की स्थिति से अधीक्षण अभियन्ता को अवगत कराते रहेंगे।

5. शिविर आयोजन के बादः

5.1 शिविर की समाप्ति पर शिविर में आने वाले आवेदनों, दिये कनेक्शनों की प्रगति की सूचना सहायक अभियंता द्वारा प्रारूप–4 में वृत कार्यालय को दी जावेगी।

5.2 फोलोअप कैम्प एवं शिविरों में जारी किये गये कनेक्शनों का 5 प्रतिशत सहायक अभियन्ता द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावे एवं उपभोक्ताओं से कार्य का फीडबैक प्राप्त करें।

5.3 वृत कार्यालय में कार्मिक अधिकारी सूचना का संकलन कर ई–मेल द्वारा जिला कलैक्टर, अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) एवं संभागीय मुख्य अभियन्ता को भेजेंगे व अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) प्रतिदिन प्रगति की स्थिति के बारे में अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक को अवगत करावेंगे एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी करने हेतु प्रारूप प्रस्तुत करेंगे।